भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *481
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेनेरिक दवाओं के नुस्खे

***481. श्री चंदन चौहानः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हमारे देश में चिकित्सक आमतौर पर रोगियों के उपचार के लिए मूल दवा (सॉल्ट) के नाम या जेनेरिक दवाओं के स्थान पर नुस्खे में दवाओं के ब्रांड नाम लिखते हैं जिसके परिणामस्वरूप रोगियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वे ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाएं खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा चिकित्सकों के लिए ब्रांड वाली दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाएं या मूल दवा (सॉल्ट) के नाम लिखना अनिवार्य बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के रोगियों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 27 मार्च, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.481 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाओं के जेनेरिक नाम स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन और दवा का उपयोग विवेकसम्मत हो। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने दिनांक 12.05.2023 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों और पॉलीक्लिनिकों में कार्यरत सभी चिकित्सक जेनेरिक दवाएं लिखें।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) अथवा एनएमसी के नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को किसी पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर या पेशेवर द्वारा किसी भी पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।
